ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00161

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 38/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. गुलशन कुमार पुत्र श्री चिमन लाल डोडा —नमूना विकेता—
   फर्मः— मै0 राहुल ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 84, न्यू होलसेल जनरल मार्केट, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राहुल डोडा सपुत्र श्री गुलशन कुमार —मालिक—
   फर्मः— मै0 राहुल ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 84, न्यू होलसेल जनरल मार्केट, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी 02,8बी सेक्टर, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
3. राजेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार —होलसेलर—
   फर्म— मै जसूजा ट्रेडर्स, 51, राज्य कर्मचारी कॉलोनी, हनुमान चौंक के पास, श्रीगंगानगर
4. कालीचरण बाली —निर्माता फर्म के नोमेनी—
   फर्म मै0 कश्मीर हाइजेनिक्स प्रा0 लि0 वीपीओ—गोविन्दपुरा, बीबीवाला रोड़, कनोल रेस्ट हाउस के पास बठिण्डा, पंजाब—151005
5. फर्म मै0 कश्मीर हाइजेनिक्स प्रा0 लि0 वीपीओ—गोविन्दपुरा, बीबीवाला रोड़, कनोल रेस्ट हाउस के पास बठिण्डा, पंजाब—151005 द्वारा नोमेनी श्री कालीचरण बाली,

अभियुक्त

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
की धारा 26(2)(2)/52नियम 2011

निर्णय दिनांक : 01.11.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2020 को दोपहर बाद 01.00 पी.एम. पर श्री प्रवीण कुमार खत्री , व.लि. हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ निरीक्षण हेतु फर्म मै0 राहुल ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

84, न्यू होलसेल जनरल मार्केट, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर गुलशन कुमार पुत्र श्री चिमन लाल डोडा, निवासी–02, 8बी सेक्टर, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर मै0 राहुल ट्रेडिंग कम्पनी का निरीक्षण किया तो वहां रखे गत्ते के एक कार्टन में 12 सील्ड PET BOTTLES, प्रत्येक 1.0 लीटर पेय पदार्थ **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** युक्त पाई गई जिसे उपस्थित ने आमजन को विक्रय हेतु बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **K-1040** के नमूनीकरण के लिए 1.0 लीटर पेय पदार्थ **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** युक्त 4 सील्ड **PET BOTTLES** खरीदी जिसकी कीमत 200/– रूपये (अखरे रूपये दौ सौ मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री प्रवीण कुमार खत्री, एवं श्री लविश धमीजा के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरीराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर 05ए प्रति पर नोटिस देकर यह बता दियाथा कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 ए पर पेय पदार्थ **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** विक्रेता गुलशन कुमार पुत्र श्री चिमन लाल डोडा, एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकार हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पेय पदार्थ **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** के इन चारो नमूना भागो पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1040** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप कोड व अनुक्रमांक **K-1040** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता भीमसैन ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/792/एक्ट/2020/862 दिनांक 01.07.2020 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1040 **MANGO FRUIT DRINK (AYKA) अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र श्री चिमन लाल डोडा मै0 राहुल ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 84, न्यू होलसेल जनरल मार्केट,श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त संख्या 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री नवनीत कटारिया ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–1040 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ संख्या 31 में उक्त ब्रास सिल नम्बर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है जबकि प्रस्तुत दस्तावेज के पृष्ट संख्या 29 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र हेतु ब्रास सिल नम्बर 92 आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफएसएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–1040 मिन अप्रार्थी से खरीद किया गया उक्त खाद्य पदार्थ मिन अप्रार्थी द्वारा जिस फर्म/विकेता से कय किया गया था जिसका बिल सलंग्न परिवाद पेश किया गया है उक्त पत्रावली में निर्माता द्वारा जारी बिल भी सलंग्न पत्रावली है। मिन अप्रार्थी द्वारा जिस पैकिंग अवस्था में विकेता से उक्त खाद्य पदार्थ लिया गया था को उसी पैंकिग/अवस्था में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनीकरण हेतु विकय किया गया है। मिन अप्रार्थी का उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माण, पैकिंग/लेबल, इन्ग्रिेट से कोई सरोकार नहीं होने के कारण मिन अप्रार्थी के विरूद्व वाद प्रथमदृष्टया ही निरस्तणीय है।
3. यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravene Regulation 2.2.2(5) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्याः–एलएस/792/एक्ट/ 2020/862 दिनांक 01. 07.2020 में But the Specifie Name or INS No. of permitted synthetic food colour used in the product not mentioned in the label of Sample लिखा है, जबकि जन विश्लेषक द्वारा अपनी उक्त रिपोर्ट में ही INS No.330,440,211, and 110 स्पष्ट अंकित करते हुए रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट में जन विश्लेषक स्वयं ही फूड कलर्स (110) अंकित कर रहे है जिससे स्पष्ट है कि जन विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के अनुसार फूड कलर्स का आई एन एस नम्बर 110 लेबल पर अंकित था। उक्त लेबल पर फूड क्लर्स का नाम या उसका आई एन एस नम्बर दोनो में से किसी एक का

अंकित किया जाना आवश्यक था दोनो का नहीं। इस आधार पर उक्त नमूना किसी भी प्रकार से लेबल कन्डीशन पर मिसब्रॉड खाद्य की परिभाषा में नहीं आता है। उक्त आधार पर प्रस्तुत वाद मिन जबावदाता के विरूद्व विधि विरूद्व पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है।

4. Section 2.1.3 Food Sefety Officer (FSO) के 4(G) में लिखा है कि To recomandend Do to issue the improvement Notice to the FBO when ever necessary. इस नियम की भी FSO द्वारा पालना नहीं की गई है।
5. चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरूद्व है।
6. यह कि FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिसब्राण्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। फोटो प्रति सलंग्न जबाव है।
7. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO व जन विश्लेषक को गवाही के उद्वेश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।
8. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255,2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति सलंग्न दस्तावेज है।
9. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्व एफबीओ खारिज किया गया है।
10. यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अपमिश्रित नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है वाद सव्यय निरस्त फरमायें जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
11. यह कि अन्य कथन वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या K-1040 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावें।

अभियुक्त संख्या 03 की तरफ से अधिवक्ता श्री एस.पी.खुराना ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

प्रारम्भिक आपत्तियां

1. यह कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 को माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है जिसमें अंकित किया है कि आपकी फर्म का निरीक्षण किया गया तो वहां रखें गत्ते के एक कार्टन में 12 सील्ड **PET BOTTLES** प्रत्येक 1.0 लीटर **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** मौजूद थी जो कि बाद जांच अमानक **Misbranded** फूड पाया गया इस प्रकार आप द्वारा अमानक **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26(2)(2)/52 का उल्लंधन किया है। यहां यह उल्लेखनिय है कि अप्रार्थी संख्या 3 के संस्थान मैसर्स जसूजा ट्रेडर्स पर किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया व न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई नमूना लिया गया व न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई नमूना लेकर जांच हेतु भिजवाया गया। उक्त नमूना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की फर्म से लिया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 को गलत रूप से विधि विरूद्व रूप से नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व कोई कार्यवाही न की जावें।

पैरा वाईज जवाब

1. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 के सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा द्वारा नमूना संख्या के–1040 का नमूना अप्रार्थी संख्या 1 नमूना विक्रेता व अप्रार्थी संख्या 2 मालिक की दुकान से लिया गया है व तमाम कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संस्थान पर हुई है जिसमें उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 संलिप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नमूना लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नम्बर 3 लगाई गई अंकित है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ट संख्या 31 में उक्त ब्रास सिल नम्बर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं दिनेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है जबकि प्रस्तुत दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 29 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र हेतु ब्रास सिल नम्बर 92 आवंटित की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने का कार्य सही रूप से नहीं किया व FSSA के नियमों के विपरीत कार्य किया है।
2. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित है जिसका विस्तृत जवाब उन्हीं के द्वारा दिया जा सकता है।
3. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित है जिसका विस्तृत जवाब उन्हीं के द्वारा दिया जा सकता है।
4. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य व कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्बन्धित है।
5. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 5 के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त चरण में जिस नमूने की जांच की गई जिसे कि मिसब्राण्ड पाया जाना अंकित किया है जो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कि उक्त नमूना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संस्थान से लिया गया है उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 का उक्त नमूने से कोई सरोकार नहीं है चूंकि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है जिसे कि जिस प्रकार से निर्मित व पैकिंग किया जाता है उसी अनुरूप उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा लिया जाता है व उसी स्थिति में ही दिया जाता है।

6. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 6 के सम्बन्ध में निवेदन है कि फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर से जांच रिपोर्ट FSSA/2020/15219-20 दिनांक 07.08.2020 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया गया परन्तु नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग को रैफरलाड लैब से जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जो कि उक्त तमाम तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (नमूना विक्रेता) से ही सम्बन्धित है।
7. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 7 कानूनी है।
8. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी है।

अतिरिक्त कथन

1. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना संख्या के–1040 का नमूना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से लिया गया है उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माण, पैंकिग, लैबल, इन्प्रिंट से सम्बन्धित तमाम कार्य अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा किया जाता है जिससे उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उक्त नमूना को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खरीद किया गया है व तमाम कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संस्थन पर हुई है तथा मुझ उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध न होने के कारण प्रथम दृष्टया ही मामला मुझ अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व निरस्त फरमाया जावें।
2. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जन विश्लेषक को न्यायहित में गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने का आदेश फरमाया जावें।
3. यह कि खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई तथा उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अपमिश्रित नहीं माना जा सकता। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 में उपलब्ध प्रावधानों की पालना नहीं की गई है इसलिये उक्त वाद निरस्त फरमाया जावें।
4. यह कि एफएसएसए के तहत नमूना संख्या के–1040 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3 (1)(Zf)(c)(i) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिये असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त वाद उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 की हद तक निरस्त फरमाया जावें।

अभियुक्त संख्या 04 व 05 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–उपरोक्त अनवानी प्रकरण में में आज की तारीख पेशी वास्ते जबाब अप्रार्थी संख्या 04 व 05 नियत है । पूर्व में उक्त प्रकरण का जवाब अन्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण जसुजा एन्टर प्राईजेज की तरफ से जो जबाब प्रस्तुत किया हुआ है वही हमारा ही माना जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण का नरमी का रूख अपनाते हुए निर्णित किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया कुल्फी का सैम्पल के–1040 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/792/एक्ट/2020/862 दिनांक 01.07.2020 द्वारा (Misbranded Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार " **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** " का सैम्पल के–1040 "Permitted Water soluble synthetic food colour Sunset yellow FCF and ,Tratrazine(Not declared on athe label) fotind present." पाया गया । अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/52 उल्लंघन तथा धारा 31(1) के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्तो की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–1040 लेते समय फर्द रिपोर्ट पर ब्रास सिल नं. 3 लगाई गई है जबकि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पृष्ठ संख्या 31 में उक्त ब्रास सिल नम्बर 3 आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जयपुर द्वारा कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ हेतु आवंटित की गई है जबकि प्रस्तुत दस्तावेज के पृष्ट संख्या 29 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र हेतु ब्रास सिल नम्बर 92 आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी एफएसओ द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफएसएसए के नियमानुसार नहीं किया गया है। जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में Contravene Regulation 2.2.2(5) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के अन्तर्गत दिया गया है। यह कि जन विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्याः–एलएस/792/एक्ट/ 2020/862 दिनांक 01.07.2020 में But the Specifie Name or INS No. of permitted synthetic food colour used in the product not mentioned in the label of Sample लिखा है, जबकि जन विश्लेषक द्वारा अपनी उक्त रिपोर्ट में ही INS No.330,440,211, and 110 स्पष्ट अंकित करते हुए रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट में जन विश्लेषक स्वयं ही फूड कलर्स (110) अंकित कर रहे है जिससे स्पष्ट है कि जन विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के अनुसार फूड कलर्स का आई एन एस नम्बर 110 लेबल पर अंकित था। उक्त लेबल पर फूड क्लर्स का नाम या उसका आई एन एस नम्बर दोनो में से किसी एक का अंकित किया जाना आवश्यक था दोनो का नहीं। इस आधार पर उक्त नमूना किसी भी प्रकार से लेबल कन्डीशन पर मिसब्रॉड खाद्य की परिभाषा में नहीं आता है। उक्त आधार पर प्रस्तुत वाद मिन जबावदाता के विरूद्व विधि विरूद्व पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तणीय है। Section 2.1.3 Food Sefety Officer (FSO) के 4(G) में लिखा है कि To recomandend Do to issue the improvement Notice to the FBO when ever necessary. इस नियम की भी FSO द्वारा पालना नहीं की गई है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जिसमें कि स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी द्वारा मानक नियमों के अनुसार होते हुए भी माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो कि नियम विरूद्व है। FSS Act 2006 के Section 32 की पालना भी अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में Best Before लिखा होने पर क्या मिसब्राण्ड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई है जिसका लाभ खाद्य कारोबारकर्ता को नहीं दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावें जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 FAC 255,2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन संख्या 24/2017 के पारित अपने निर्णय दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्व एफबीओ खारिज किया गया है। प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच विधिनुसार नहीं की गई है उक्त नमूना किसी भी प्रकार से अपमिश्रित नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है वाद सव्यय निरस्त फरमायें जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** " bearing Code No. and Sr. No. K-1040 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Misbranded Food** Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006 जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1) के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **MANGO FRUIT DRINK (AYKA)** " के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा.हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर